

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- ८८/19

तारीख दायर ४-५-१८

1. फोरीदेवी पत्नि मांगीलाल जाति कराड उम्र वयस्क निवासी उदपुरिया तहसील विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

1. जमना पिता परसराम जाति कराड उम्र वयस्क निवासी उदपुरिया तहसील विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गोर्धन पिता छीतर जाति कराड उम्र वयस्क निवासी उदपुरिया तहसील विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. प्रकाश पिता डूंगा जाति कराड उम्र वयस्क निवासी उदपुरिया तहसील विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. विजयलाल पिता प्यारा जाति कराड उम्र वयस्क निवासी उदपुरिया तहसील विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. सत्यनारायण पिता देवीलाल जाति कराड उम्र वयस्क निवासी उदपुरिया तहसील विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक ३०-५-१८

प्रार्थना पत्र मांगीलाल किराड ने जरिये अभिभाषक श्री पंकज कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेडा तहसील विजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 44 पर अंकित आराजी संख्या आराजी संख्या 33, 34, 36/1, 37/1, 38/1, 45/1, 185/33, 186/38 किता 8 रकबा 7-11 बीघा भूमि स्थित है विपक्षी आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की वहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।


पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने वावत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेडा को पत्थरगढी वावत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 50/- रुपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेडा तहसील विजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 49 पर अंकित आराजी संख्या आराजी संख्या 33, 34, 36/1, 37/1, 38/1, 45/1, 185/33, 186/38 किता 8 रकबा 7-11 बीघा की वशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार विजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया




उपखण्ड अधिकारी
विजौलियाँ